

**01**

**प्रेस नोट दिनांक 14-09-2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ एवं श्री सभाशंकर यादव थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया के कुशल निर्देशन में चिल्हिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.09.2020 को शान्ति-व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

**02**

**प्रेस नोट दिनांक 14.09.2020**

### **एक अभियुक्त चोरी के ट्रैक्टर-ट्राली के साथ गिरफ्तार**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में विगत रात्रि दिनांक 13/09.2020 को श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ मय टीम के साथ मुखबीर की सूचना पर चोरी की ट्रैक्टर-ट्राली के साथ एक अभियुक्त को भिरीण्डा माता मन्दिर के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर भेजा गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त**

1. रामदयाल हरिजन उर्फ दल्लू पुत्र स्व. रामदास निवासी छताई थाना खजनी जनपद गोरखपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
2. उ.नि. विक्रम अजीत राय चौकी प्रभारी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
3. हे.का. राजू चौधरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
4. हे.का. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
5. का. अनिल चौहान थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
6. का. रमाशंकर यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
7. का. शरद यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |
8. का. दीनानाथ थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर |

#### **बरामदगी**

1. एक अदद ट्रैक्टर-ट्राली

ट्रैक्टर पर POWER TRAC 439 नीला सफेद इंजन नं. E3118266, चेचिस नं. B 3106186, ट्रैक्टर सिरियल नं. T 3106729 लिखा है तथा ट्राली नीले रंग की जिस पर मो.नं. 9415831790, 9452293009 लिखा है।

**03**

**प्रेस नोट दिनांक 14.09.2020**

**दहेज हत्या में फरार चल रहे 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, भेजे गए जेल थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन के नेतृत्व में दिनांक-12-09-2020 को ग्राम केनवानिया में हुई दहेज हत्या के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 103/20 धारा 498A.304B IPC व 3/4 Dp Act में फरार चल रहे अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र संतोषी निवासी केनवानिया थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर 2. श्रीमती हीरा देवी पत्नी संतोषी निवासिनी केनवानिया थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को लोटन पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 14-09-2020 को समय प्रातः 08.15 बजे ठोठरी तिराहा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुकदमें में नामजद सभी 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. सुनील पुत्र संतोषी,
2. श्रीमती हीरा देवी पत्नी संतोषी निवासी केनवानिया थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. श्री अवध नारायण यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0श्री हरेंद्र नाथ राय, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर
3. मुख्य आरक्षी रामाश्रय यादव, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर
4. आरक्षी आशीष चौरसिया, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर
5. महिला आरक्षी किरन यादव, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर

**04**

**प्रेस नोट दिनांक 14.09.2020**

आज दिनांक 14 .09.2020 को ग्राम थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर निवासी संजय साहनी पुत्र फूलचंद साहनी उम्र करीब 30 वर्ष अपनी पत्नी से किसी बात पर नाराज होकर शराब पीकर बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा सूचना पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस एवं थाने की पुलिस तथा श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी एवं बिजली विभाग के अधिकारीगण मौके पर पहुंचकर बिजली के टावर पर चढ़े संजय साहनी को समझा-बुझाकर उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण कराने का आश्वासन देकर टावर से सकुशल उतारा गया एवं उनके परिवार एवं बच्चों के साथ बैठकर उनके आपसी विवाद का समाधान कराया गया।

**05**

**प्रेस नोट दिनांक 14 -09-2020**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्रटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-14 -09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 315 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 161 वाहनों का चालान कर ₹150700/-शमन शुल्क वसूल किया गया।